[2018] 14 एससीआर 452

कनुभाई भगवानभाई नायक

बनाम गुजरात राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1540)

03 दिसंबर, 2018

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा, जेजे]

दंड संहिता, 1860: धारा 302 - ट्रायल कोर्ट द्वारा धारा 302 के तहत दोषसिद्धि - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की - दोषसिद्धि के खिलाफ अपील इस आधार पर कि उच्च न्यायालय के आदेश में, न तो किसी साक्ष्य का कोई संदर्भ था, न ही इसका आवेदन और न ही आक्षेपित आदेश में कोई चर्चा थी - माना गया: 5.386 (बी) के तहत अपीलीय न्यायालय की शक्तियों को देखते हुए, सीआरपीसी, उच्च न्यायालय को मामले में उत्पन्न मुद्दों पर अभियोजन पक्ष के प्रत्येक गवाह के साक्ष्य की जांच करनी चाहिए थी और अपील में आरोपी द्वारा दी गई चुनौती के आलोक में इसकी जांच की जानी चाहिए थी और फिर पुष्टि या संशोधन या उलटफेर का निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए था, जैसा भी मामला हो - यह उच्च न्यायालय का दायित्व था कि वह आग्रह किए गए मुद्दों से निपटें और फिर अपने निष्कर्ष को एक रास्ता रिकॉर्ड करें। या दूसरा कानून को ध्यान में रखते हुए - लागू आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 386 (बी)। अपील को स्वीकार करते

हुए और मामले को उच्च न्यायालय को सौंपते हुए, अदालत ने अभिनिर्धारित किया: 1. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलकर्ता द्वारा आग्रह किये गये विवाधक तथ्यों पर न चर्चा की और न ही सबूतों का मूल्यांकन किया और न ही मामले में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए। आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय ने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की और उसके अवलोकन पर पाया कि मृतक के शरीर पर चोटों से पता चलता है कि मौत हत्या के कारण हुई थी। अदालत ने तब कहा कि "विभिन्न गवाहों" के नेतृत्व में सबूतों से पता चला है कि यह आरोपी था जो अपराध स्थल पर मौजूद था और उसने मृतक पर हमला किया। उच्च न्यायालय ने तब कहा कि चूंकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में सभी सबूतों की बारीकी से जांच की थी और ठोस और ठोस कारण दिए थे, इसलिए उच्च न्यायालय कनुभाई भगवानभाई नायक बनाम गुजरात राज्य मामले में

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है। तथ्यों के इस कथन के साथ ही उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया। [पैरा 9] [454-एफ-एच]

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 (बी) के तहत अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के मद्देनजर, उच्च न्यायालय को मामले में उत्पन्न मुद्दों पर अभियोजन पक्ष के प्रत्येक गवाह के साक्ष्य की जांच करनी चाहिए थी और अपील में आरोपी द्वारा दी गई चुनौती के आलोक में इसकी जांच की जानी चाहिए थी और फिर एक निष्कर्ष या तो पुष्टि या संशोधन या उलटफेर दर्ज किया जाना चाहिए था। जैसा भी मामला हो। [पैरा 10] [455-ए-बी]

3. उच्च न्यायालय को अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में लागू आदेश की वैधता और शुद्धता की जांच करते हुए तथ्यों और कानून के मुद्दों की जांच करने का अधिकार है। यह डिवीजन बेंच के लिए समान रूप से अनिवार्य है कि वह आग्रह किए गए मुद्दों से निपटे और फिर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए अपने निष्कर्षों को एक या दूसरे तरीके से रिकॉर्ड करे, जो मुद्दों को नियंत्रित करता है। [पैरा 12] [455-सी-डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:

2018 की आपराधिक अपील संख्या 1540।

2011 की आपराधिक अपील संख्या 1512 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 25.04.2016 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता, आफताब अली खान, एम. जेड. चौधरी, साजिद इमाम नकवी, सुश्री दिशा वैश्य, सुश्री हीना खान, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

सुश्री पूजा सिंह, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री विशाखा, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, जे.

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. यह अपील 2011 की आपराधिक अपील संख्या 1512 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और 9 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 30.09.2011 को दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की। 2010 के सत्र केस नंबर 101 में वडोदरा। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 14 एस.सी.आर.

3. अपील के निपटान के लिए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

4. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता (आरोपी) द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (इसके बाद "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) के तहत सत्र केस नंबर 101/2010 में 9 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वडोदरा द्वारा दी गई उसकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की, जिसने इस न्यायालय में अपीलकर्ता (आरोपी) द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर करने की अनुमति दी गयी।

5. इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय का अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज करना न्यायोचित था और इस प्रकार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करना न्यायोचित था।

6. अपीलकर्ता की वरिष्ठ वकील सुश्री विभा दत्ता मखीजा और प्रतिवादी की वकील सुश्री पूजा सिंह को सुना।

7. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हम अपील की अनुमति देने, आक्षेपित आदेश को रद्द करने और गुण-दोष के आधार पर आपराधिक अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को सौंपने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

8. मामले को रिमांड पर लेने की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई है क्योंकि हमने पाया है कि डिवीजन बेंच ने न तो मामले में उत्पन्न किसी भी मुद्दे पर चर्चा की है और न ही सबूतों की मूल्यांकन किया है और न ही मामले में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर अपने निष्कर्षों को दर्ज किया है और जैसा अपीलकर्ता द्वारा आग्रह किया गया है।

9. आक्षेपित आदेश के केवल अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि खंडपीठ ने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्धारित की है और इसके अवलोकन पर पाया कि मृतक के शरीर पर चोटों से पता चलता है कि मौत हत्या के कारण हुई थी। खंडपीठ ने तब कहा कि "विभिन्न गवाहों" के नेतृत्व में किए गए सबूतों से पता चलता है कि यह आरोपी था जो अपराध स्थल पर मौजूद था और उसने मृतक पर हमला किया। खंडपीठ ने तब कहा कि चूंकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में सभी सबूतों की "बारीकी से जांच" की थी और ठोस और ठोस कारण दिए थे, इसलिए उच्च न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है। तथ्यों के इस कथन के साथ ही खंडपीठ ने अपील को खारिज कर दिया। कनुभाई भगवानभाई नायक बनाम गुजरात राज्य [अभय मनोहर सप्रे, जे।

10. हमारी राय में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 (बी) के तहत अपीलीय न्यायालय की शक्तियों को ध्यान में रखते हुए, डिवीजन बेंच को मामले में उत्पन्न मुद्दों पर अभियोजन पक्ष के प्रत्येक गवाह के साक्ष्य की जांच करनी चाहिए थी और अपील में अभियुक्त द्वारा दी गई चुनौती के आलोक में इसकी जांच की जानी चाहिए थी और फिर एक निष्कर्ष या तो पुष्टि या संशोधन के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। उलटफेर, जैसा भी मामला हो।

11. न तो किसी साक्ष्य का कोई संदर्भ है, न ही इसकी सराहना है और न ही आक्षेपित आदेश में कोई चर्चा है।

12. हमारी राय में, उच्च न्यायालय को अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में आक्षेपित आदेश की वैधता और शुद्धता की जांच करते हुए तथ्यों और कानून के मुद्दों की जांच करने का अधिकार है। यह डिवीजन बेंच के लिए समान रूप से अनिवार्य है कि वह आग्रह किए गए मुद्दों से निपटे और फिर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए अपने निष्कर्षों को एक या दूसरे तरीके से रिकॉर्ड करे, जो मुद्दों को नियंत्रित करता है।

13. इसलिए, हम अपील के इस तरह के निस्तारण से सहमत होने में खुद को असमर्थ पाते हैं और आक्षेपित आदेश को रद्द करने और कानून के अनुसार गुणदोष के आधार पर अपील पर नए सिरे से फैसला करने के अनुरोध के साथ मामले को उच्च न्यायालय की खंडपीठ को सौंपने के इच्छुक महसूस करते हैं।

14. मामले को रिमांड पर लेने के लिए एक राय बनाने के बाद, हम मामले के गुण-दोष में जाना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए, हम अपनी टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार, सभी मुद्दों को खंडपीठ द्वारा गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए खुला छोड़ते हैं।

15. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील स्वीकार की जाती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि अपील को यथाशीघ्र निपटाया जाए, अधिमानतः छह महीने के भीतर।

16. लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का निस्तारण किया गया।

देविका गुजराल

मामले को उच्च न्यायालय में भेजा गया।

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2023.10.27 10:55:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court